

(1)

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) अधिनियम, 1974¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1974]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 12 जून, 1974 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अगस्त, 1974 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 23 अक्टूबर, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 29 अक्टूबर, 1974 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

अधिनियमों को बिना किसी परिष्कार के या परिष्कार सहित जारी रखने के लिए अधिनियम पारित होने से पहले ऐसे अधिनियमों की समाप्ति से उत्पन्न हुई और हो सकने वाली असुविधा को दूर करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जात है : —

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारम्भ

(2) यह 1 सितम्बर, 1972 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

2— यदि राज्य विधान मण्डल के किसी सत्र में किसी ऐसे अधिनियम को जो उस सत्र में अथवा उसके पश्चात् समाप्त होने को हो (जिसे आगे समाप्त होने वाला अधिनियम कहा गया है), जारी रखने के लिये कोई विधेयक (जिसे आगे जारी रखने वाला विधेयक कहा गया है), पुरःस्थापित किया जाय और ऐसा अधिनियम जारी रखने वाले विधेयक पर, यथा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त गजट में अधिनियम के रूप में (जिसे आगे जारी रखने वाला अधिनियम कहा गया है), प्रकाशित किये जाने के पूर्व समाप्त हो जाय तो जारी रखने वाले अधिनियम में अन्यथा विशेषतः की गयी व्यवस्था के सिवाय : —

जरी रखने वाले
अधिनियम का
प्रभाव

(क) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को बिना किन्हीं परिष्कारों के चालू रखना आशयित हो तो जारी रखने वाले अधिनियम को प्रथम उल्लिखित अधिनियम की समाप्ति के दिनांक से (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है), उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए प्रभावी हुआ माना जायगा और होगा, मानों ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो, और

(ख) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को किन्हीं परिष्कारों के साथ जारी रखना आशयित हो तो जारी रखने वाला अधिनियम प्रथम उल्लिखित अधिनियम को, बिना किन्हीं ऐसे परिष्कारों के उक्त दिनांक से, जारी रखने वाले अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तक उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए जारी रखता हुआ समझा जायगा मानों ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो और उसमें उक्त परिष्कारों के लिये कोई व्यवस्था न हो ;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 24 मार्च, 1973 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

(3)

प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर अन्तर्विष्ट किसी बात का यह विस्तार उस सीमा तक न होगा और न उससे यह समझा जायगा कि जारी रखे गये अधिनियम की समाप्ति तथा उस दिनांक के, जब जारी रखने वाला अधिनियम वस्तुतः गजट में प्रथम बार प्रकाशित किया गया, बीच इस प्रकार जारी रखे गये अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी व्यक्ति द्वारा किसी कृत या अकृत बात के कारण स्वरूप ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार के दण्ड, शास्ति अथवा समपहरण का प्रभाव पड़े ।

3— उत्तर प्रदेशीय विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) अधिनियम, 1950 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
28, 1950 का
निरसन